राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कल्लू उर्फ़ कल्याण बनाम रेवड

तारीख हुक्म	11/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | पक्षकारान ने अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश करते हुये निवेदन किया कि आदेश दिनांक 26/07/2021 में अंकित "जो रास्ते के उपयोग हेतु दोनों पक्षों का शामलाती रहेगा" में आंशिक संशोधन किया जाकर उसके स्थान पर "जो रास्ते का उपयोग कल्लू उर्फ़ कल्याण एवं उसके वारिसान द्वारा किया जावेगा |" अंकित कर प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे | चूँकि दोनों पक्षों द्वारा सहमति प्रकट करते हुये राजीनामा पेश कर राजीनामे के अनुसार आदेश दिनांक 26/07/2021 को संशोधित किये जाने का निवेदन किया गया है | अत: दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर न्यायहित में इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 235/2021 में पारित आदेश दिनांक 26/07/2021 की ऊपर से सातवी/आठवी लाईन में अंकित "जो रास्ते के उपयोग हेतु दोनों पक्षों का शामलाती रहेगा" को संशोधित किया जाकर "जो रास्ते का उपयोग कल्लू उर्फ़ कल्याण एवं उसके वारिसान द्वारा किया जावेगा |" अंकित कर प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है | तदनुसार आदेश दिनांक 26/07/2021 पढ़ा जावे | तदनुसार प्रार्थना पत्र पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाता है | प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	